संoसंo 9/विविध 13 35/2018 494(9) 24/4/2019

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डाo सुरेश प्रसाद, क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर** के पदस्थापन काल में गंभीर अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डाo सुरेश प्रसाद** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन **श्री रामईश्वर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी 9 को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त** किया जाता है।

3. **डाo सुरेश प्रसाद** से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/04/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 494(9) / स्वाo, पटना, दिनांक : 24/4/2019

प्रतिलिपिः— आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **श्री रामईश्वर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

16/04/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 494(9) / स्वाo, पटना, दिनांक : 24/4/2019

प्रतिलिपिः— आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी 9 (उपस्थापन पदाधिकारी)** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/04/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 494(9) /स्वाo, पटना, दिनांक : 24/4/2019

प्रतिलिपिः— **डाo सुरेश प्रसाद, क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/04/19

सरकार के अवर सचिव।

D:\All Letter 2017 SWETA\Sankalp 2019.docx

परिशिष्ट–।

आरोप–पत्र

(1) प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1	नाम	:	डा0 सुरेश प्रसाद
2	पदनाम	:	क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर
3	जन्म तिथि	:	15.09.1952
4	सेवा निवृति की तिथि	:	30.09.2019
5	सेवा/सम्वर्ग का नाम	:	बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग
6	पद समूह एवं विभाग	:	चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
7	वरीयता कमांक	:	3139
8	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	
9	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:	2017/कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर
10	बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 बी. के तहत कालवाधित होने की तिथि	:	

16/04/19

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(2) द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

डा0 सुरेश प्रसाद, तत्कालीन असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 04.12.2013 से ऐच्छिक सेवा निवृति हेतु आवेदन विभाग को दिया गया । विभागीय पत्रांक 170(3) दिनांक 30.04.2014 द्वारा डा0 प्रसाद से डी0डी0ओ0 के रूप में कार्य किये जाने संबंधी सूचना की मांग की गई । डा0 प्रसाद द्वारा अपेक्षित सूचना नहीं देकर दिनांक 23.01.2016 के आवेदन से पुनः ऐच्छिक सेवा निवृति हेतु अनुरोध किया गया । विभागीय पत्रांक 150(3) दिनांक 29.03.2017, स्मार पत्रांक 666(3) दिनांक 07.11.2017 एवं 4(3) दिनांक 03.01.2018. से डा0 प्रसाद से वांछित कागजातों की मांग की गयी जो अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया ।

2. इस अवधि में उनका पदस्थापन विभागीय अधिसूचना सं0 617(3) दिनांक 17.10.2017 द्वारा क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर में किया गया, लेकिन उनके द्वारा पदस्थापित स्थान पर न तो योगदान दिया गया तथा न हीं कोई सूचना दी गई । इस प्रकार वे पुनः सरकारी आदेशों का अवहेलना करते हुए कर्तव्य से अनुपस्थित रहे ।

3. उक्त से स्पष्ट है कि डा0 सुरेश प्रसाद, तत्कालीन प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर ने विभागीय आदेशों की बार–बार अवहेलना/उलंघन किया है ।

4. डा0 प्रसाद बगैर कोई अभिलेख उपलब्ध कराये स्वेच्छिक रूप से एकतरफा प्रभार सौंपते हुए बिना स्वीकृति/आदेश के दिनांक 31.08.2017 से कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 76(3) का उल्लंघन है ।

16/04/19

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(3) तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

डा0 सुरेश प्रसाद, तत्कालीन असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा, सम्प्रति क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर द्वारा आवेदन दिनांक 04.12.2013 से ऐच्छिक सेवा निवृति हेतु विभाग को दिया गया जिसके क्रम में विभागीय पत्रांक 170(3) दिनांक 30.04.2014 से डी0डी0ओ0 के रूप में कार्य किये जाने संबंधी सूचना की मांग की गई । डा0 प्रसाद द्वारा अपेक्षित सूचना नही देकर आवेदन दिनांक 23.01.2016 से पुनः ऐच्छिक सेवा निवृति हेतु अनुरोध किया गया विभागीय पत्रांक 150(3) दिनांक 29.03.2017, स्मार पत्रांक 666(3) दिनांक 07.11.2017 एवं 4(3) दिनांक 03.01. 2018से डा0 प्रसाद से वांछित कागजातों की मांग की गयी जो अद्यतन अप्राप्त है ।

इसी दरम्यान उनका पदस्थापन विभागीय अधिसूचना सं0 617(3) दिनांक 17.10.2017 द्वारा क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर में किया गया । लेकिन उनके द्वारा पदस्थापित स्थान पर न हीं योगदान किया गया तथा न हीं कोई सूचना दी गई । इस प्रकार वे पुनः सरकारी आदेशों का अवहेलना करते हुए कर्तव्य से अनुपस्थित रहे ।

उक्त से स्पष्ट है कि डा0 सुरेश प्रसाद, तत्कालीन प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर विभागीय आदेश का बार–बार अवहेलना/उलंघन करते वे दिनांक 31.08. 2017 से अबतक कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 76(3) का उल्लंधन है ।

विदित हो डा0 प्रसाद ने कोई अभिलेख उपलब्ध कराये बिना हीं स्वेच्छिक रूप से एकतरफा प्रभार देते हुए बिना स्वीकृति/आदेश के दिनांक 31.08.2017 से कर्तव्य से अनुपस्थित हो गये । इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक 3100 दिनांक 15.11.2017 द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की गई है ।

डा0 सुरेश प्रसाद से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उनके पत्राचार पते पर विभागीय ज्ञापांक 04(3) दिनांक 03.01.2018 द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित वांछित कागजातों की मॉग की गयी जो अद्यतन अप्राप्त है जिसके कारण उनके मामले का निस्तारण बाधित है । इस प्रकार वे दिनांक 31.08.2017 से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है ।

26/04/19

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(4) चतुर्थ भाग–दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र0 सं0	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1	विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 617(3) दिनांक 17.10.2017 के क्रमांक 01 अन्तर्गत डा0 प्रसाद का पदस्थापन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर के पद पर अधिसूचित किया गया तथापित डा0 प्रसाद द्वारा अद्यतन अपने नवपदस्थापन में योगदान नहीं दिया गया, न हीं सूचना से अवगत कराया गया ।	01
2.	विभागीय पत्रांक 666(3) दिनांक 07.11.2017 द्वारा डा0 सुरेश प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी से ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित कुल–09(नौ) वॉछित कागजातों की मांग की गयी जो अद्यतन अप्राप्त है ।	01
3.	पुनः विभागीय पत्रांक/ज्ञापांक 04(3) दिनांक 03.01.2018 द्वारा उन्हें ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित वांछित कागजातों को प्रेषित करने हेतु स्मारित किया गया जो अद्यतन पटल को अप्राप्त है ।	01
4.	विभागीय पत्रांक 170(3) दिनांक 30.04.2014 द्वारा डा0 सुरेश प्रसाद, क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर से सेवा इतिहास के साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य किये जाने की सूचना की मांग की गयी थी जो अप्राप्त है ।	01

16/04/19.

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2018\Arop Patra.docx

L4 ⑥

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 17/10/2017

संख्या–3/टी–01–02/2017– 617(3) /स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों जो अपने ही वेतनमान में स्तंभ–6 में अंकित जिलों/संस्थानों में पदस्थापित है, को स्थानान्तरित करते हुए स्तंभ–7 में अंकित पदों पर अपने वेतनमान में तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	चि0पदा0 का नाम	गृह जिला	वरीयता	जन्म तिथि	वर्तमानपद	नव पदस्थापित पद एवं स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	डा0 सुरेश प्रसाद	नालन्दा	3139	05.09.1952	चिकित्सा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना	क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
2	डा0 सच्चिदानंद चौधरी	वैशाली	3142	30.06.1951	चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर	क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
3	डा0 ललित मोहन शर्मा	पटना	3144	01.01.52	क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, पटना	क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा

2. पदस्थापित/स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करें ।

3. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि पदस्थापित/स्थानान्तरित सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को नवपदस्थापित स्थान के लिए तुरंत विरमित कर दें ।

4. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवक्रमित समझी जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 3/टी–01–02/2017– 617(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 17/10/2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संOसंO 3/एल–6–1–31/2016 04 (3)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,
जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

तृतीय स्मार

सेवा में,
डाO सुरेश प्रसाद,
प्रज्ञा निकेतन, रामचन्द्रपुंर, बिहारशरीफ,
थाना–लहेड़ी,
जिला–नालंदा ।

पटना, दिनांक : 03/01/18

विषयः ऐच्छिक सेवानिवृति सं संबंधित वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 150(3) दिनांक 29.03.2017 एवं 666(3) दिनांक 07.11.2017 का स्मरण करना चाहेंगे जिसके द्वारा आपके ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित वांछित कागजातों की मॉग लगातार की जा रही है लेकिन आपके द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मामले का निष्पादन बाधित है ।

अतः उपर्युक्त पत्रों की छाया प्रति संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित वांछित कागजात अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना चाहेंगे ताकि आपके मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके ।

O/C

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक – 04 (3) /स्वाO, पटना, दिनांक : 03/01/2018

प्रतिलिपि : श्री कामेश्वर प्रसाद, सरकार के उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को उनके पत्र संO 1/श्रम विOईO–8–80–12/2015 3100/श्रOसंO दिनांक 15.11.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old System Data\New folder\2017\Latter & Order-2017.docx

-14-

संoसंo 3/एल-6-1-31/2016

बिहार सरकार 666(3)

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

प्रथम स्मार

सेवा में,

डाo सुरेश प्रसाद,
क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक : 07.11.17

विषय: ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले से संबंधित विभागीय पत्रांक 150(3) दिनांक 29.03.2017 का स्मरण करना चाहेंगे जिसके द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित निम्नांकित कागजातों की मॉग की गयी थी जो अद्यतन आपके स्तर से अप्राप्त है जिसके फलस्वरूप आपके ऐच्छिक सेवा निवृति का मामला लंबित है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कागजात अविलम्ब प्रेषित करना चाहेंगे ताकि आपके मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके । किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

1. अनुशंसित आवेदन (सक्षम प्राधिकार द्वारा)
2. नियुक्ति संबंधी प्रथम अधिसूचना की प्रति (अभिप्रमाणित)
3 प्रथम-प्रभार रिपोर्ट की छाया प्रति (अभिप्रमाणित)
4.. प्रथम वेतन पर्ची की छाया प्रति (अभिप्रमाणित)
5. वर्तमान प्रभार-रिपोर्ट की छाया प्रति (अभिप्रमाणित)
6. अद्यतन वेतन-पर्ची (अभिप्रमाणित)
7. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत मूल प्रमाण--पत्र की छाया प्रति जिसमें जन्म तिथि **स्पष्ट रूप से अंकित हो ।** (अभिप्रमाणित)
8. **सम्पूर्ण सेवा इतिहास जिसमें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रहने एवं नहीं रहने संबंधी सूचना अंकित हो** (मूल प्रति)
9. शपथ-पत्र के माध्यम से जिसमें पूरे सेवाकाल में कोई अवधि अविनियमित रहने/नहीं रहने/आपराधिक मामले लंबित रहने/विभागीय कार्यवाही लंबित रहने या नहीं रहने से संबंधित सूचना ।

विश्वासभाजन

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old System Data\New folder\2017\Latter & Order-2017.docx

संoसंo 3/एल–6–1–01/2014 — 170(3)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

डॉo सुरेश प्रसाद,
क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक : 30/04/14

विषयः पूर्ण सेवा इतिहास के साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य किये जाने की सूचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृति का अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया है उसके साथ आप कौन–कौन से स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाध्किारी के रूप में कार्य किये है उसकी पूर्ण सूचना शीघ्र उपलब्ध कराना चाहेंगे ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

C:\S.K\2014\Letter&Order-1.1.2014.docx